रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3386] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 28, 2018/भाद्र 6, 1940
No. 3386] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 28, 2018/BHADRA 6, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2018

का.आ. 4193(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूपी स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा ।

तालिका

क्र. सं.	**नई रारा सं.**	**राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण**
(1)	(2)	(3)
535	766ई	कर्नाटक राज्य में कुमटा के निकट रारा-66 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर देवीमाने, अम्मेनल्ली, कलाबिगीज, हनुमती, सिरसी, येक्कांबी, बालीहल्ली, अक्की अलुर, अलाडाकट्टी को जोड़ते हुए और रारा-48 (हावेरी बाइपास) के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

536	766ईई	कर्नाटक राज्य में हट्टीकेरी के निकट रारा-66 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर और बेलेकेरी पत्तन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/27/2014-पी एण्ड एम](पार्ट-8)

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र में एस. आर. ओ. 1180 दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 के तहत प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का. नि.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. 3255(अ), दिनांकित 5 जुलाई, 2018 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2018

S.O. **4193(E).—** In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Sl. No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
535	766E	The highway starting from its junction with NH-66 near Kumta connecting Devimane, Ammenalli, Kalabigees, Hanumati, Sirsi, Yekkambi, Balihalli, Akki Alur, Aladakatti and terminating at its junction with NH-48 (Haveri Bypass) in the State of Karnataka.
536	766EE	The highway starting from its junction with NH-66 near Hattikeri and terminating at Belekeri Port in the State of Karnataka.

[F. No. NH-14012/27/2014-P&M(Pt-8)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote: The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 3255 (E), dated 5th July, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.09.04 19:52:21 +05'30'